क्रम-संख्या—80

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 7 मई, 2012

बैशाख 17, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 310/79-वि-1–12-2(क)-2-2012

लखनऊ, 7 मई, 2012

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012)

[भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 में उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

बी0 एल0 जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जकी उल्लाह खाँ,
प्रमुख सचिव।

No. 310(2)/LXXIX-V-1-12-2(Ka)-2-2012
Dated Lucknow, May 7, 2012

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhare Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 2012) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2012

(U.P. ORDINANCE No. 2 OF 2012)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-third Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:–

Short title

1. This Ordiance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2012.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1994

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, sub-section (7) shall be *omitted.*

B. L. JOSHI,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ZAKI ULLAH KHAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 63 राजपत्र (हि०)–2012–(173)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 विधायी–2012–(174)–850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।